कार्यकारी सारांश

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन राजस्थान सरकार के सरकारी विभागों, स्वायत्तशासी निकायों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न मामलों से संबंधित है। अनुपालन लेखापरीक्षा से तात्पर्य लेखापरीक्षित संस्थाओं के व्यय और राजस्व की जांच से है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत के संविधान के प्रावधानों, लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए विभिन्न आदेशों और निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है।

यह प्रतिवेदन दो भागों में है। **भाग–I** में राज्य सरकार के विभागों से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई है तथा **भाग–II** में राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और स्वायत्तशासी निकायों से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई है। इस प्रतिवेदन में ₹ 53.25 करोड़ की राशि के आठ अनुच्छेद हैं। कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष नीचे उल्लिखित हैं:

भाग–I: राज्य सरकार के विभागों से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा आक्षेप

इस भाग में ₹ 8.74 करोड़ की राशि के चार अनुच्छेद शामिल हैं जिसमें एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा, **'कारखाना श्रमिकों के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण प्रावधानों का क्रियान्वयन'**, तथा परिवहन विभाग और खान विभाग के अन्य अनुपालन लेखापरीक्षा अनुच्छेद शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन में शामिल प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सारांश नीचे प्रस्तुत किया गया है:

कारखाना एवं बॉयलर्स निरीक्षण विभाग

कारखाना श्रमिकों के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण प्रावधानों का क्रियान्वयन

कारखाना अधिनियम, 1948 और इसके तहत बनाए गए नियमों में निर्धारित सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण से सम्बंधित प्रावधानों को लागू करने के लिए 'कारखाना और बॉयलर्स निरीक्षण विभाग' उत्तरदायी है। अप्रैल, 2017 से मार्च, 2022 तक की अवधि के लिए 'कारखाना श्रमिकों के लिए सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण प्रावधानों का क्रियान्वयन' पर एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा की गई। चयनित कार्यालयों के अभिलेखों की समीक्षा के अलावा, चयनित 60 कारखानों का विभाग के प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त निरीक्षण भी किया गया। लेखापरीक्षा के दौरान सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण मानकों का पालन न करने जैसे तथ्य सामने आए, जैसे मशीनों के गतिशील भागों की घेराबंदी नहीं करना, श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण प्रदान नहीं करना, अग्निशमन सुविधाओं की अनुपलब्धता, धूल और धुएं के लिए निकास की व्यवस्था न करना, श्रमिकों की चिकित्सा परीक्षण/जांच नहीं करना, कारखानों में शिशुगृह, शौचालयों और प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं की अनुपलब्धता, जोकि अधिनियम और नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन है। विभाग ने अधिनियम की अनुपालना को लागू करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की

और सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण मानकों के उल्लंघन के लिए कारखानों के खिलाफ अभियोजन मामले दायर करने में भी विफल रहा।

विभाग के पास कारखाना मालिकों द्वारा सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण मानकों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी तंत्र नहीं था।

ऑनलाइन प्रणाली 'केन्द्रीय निरीक्षण प्रणाली' द्वारा आवंटित निरीक्षण नहीं किए गए, जो कि इस बात से स्पष्ट है कि किए गए निरीक्षणों में 32 प्रतिशत की कमी थी। निरीक्षण के दौरान जारी निर्देशों की अनुपालना हेतु विभाग के पास निगरानी तंत्र नहीं था तथा उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई भी नहीं की गई। कारखानों द्वारा वार्षिक विवरणियों की प्रस्तुति नहीं की गयी और दुर्घटना पंजिकाओं का रखरखाव भी नहीं किया जा रहा था। विभाग श्रमिकों के प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सका। निरीक्षण के दौरान प्रकाश की तीव्रता और ध्वनि दबाव के स्तर की जांच करने के लिए कार्मिकों के पास आवश्यक उपकरण उपलब्ध नहीं थे। यह भी पाया गया कि रासायनिक दुर्घटनाओं के मामले में आपातकालीन स्थिति के प्रबंधन के लिए गठित विभिन्न संकट समूहों की बैठकें न तो निर्धारित समय-सीमा के अनुसार आयोजित की गईं और न ही विभाग ने बैठकें आयोजित करने के लिए प्रभावी प्रयास किए।

कारखाना और बॉयलर्स निरीक्षण विभाग ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों को स्वीकार किया।

लेखापरीक्षा ने अनुशंसा की कि सरकार/विभाग इन पर विचार कर सकता है:

- ***कि वार्षिक विवरणी में सुरक्षा प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कारखाना श्रमिकों की संख्या को दिखाने का प्रावधान किया जाए। इसके अतिरिक्त, यह कारखाना मालिकों को पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर सकती है।***
- ***कि केंद्रीय निरीक्षण प्रणाली में एक मॉड्यूल लागू करने पर विचार करना चाहिए जो निरीक्षण अधिकारियों द्वारा नहीं किए गए निरीक्षणों को रेड फ्लैग करे और संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करे।***
- ***कि राज्य संकट समूह, जिला संकट समूह और स्थानीय संकट समूह की बैठकों को निर्धारित समय सीमा के अनुसार आयोजित करने के लिए सक्षम प्राधिकारियों को निर्देश जारी कर सकती है।***

परिवहन विभाग

वर्ष के दौरान परिवहन विभाग की 16 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गई। ध्यान में आई प्रमुख अनियमितताएँ इस प्रकार हैं:

- राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1951 की धारा 4-सी के उल्लंघन में विभाग द्वारा 183 वाहनों से एकमुश्त कर की वसूली नहीं की गयी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.42 करोड़ के एकमुश्त कर एव अधिभार की कम वसूली/अवसूली हुई।

- वाहन स्वामियों द्वारा 781 वाहनों के सम्बन्ध में मोटर वाहन कर एवं विशेष पथ कर राशि ₹ 6.49 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया। तथापि, विभाग ने बकाया राशि की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू नहीं की।

खान विभाग

वर्ष के दौरान खान विभाग की 10 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गई। लेखापरीक्षा के ध्यान में आये निष्कर्ष निम्न प्रकार हैं:

- विभाग ने खनन पट्टे की खनन योजना में उल्लेखित अनुमत्य मात्रा से अधिक उत्खनित एवं निर्गमित खनिज की मात्रा के लिए मांग कायम नहीं की जिसके परिणामस्वरूप ₹ 83 लाख की अवसूली रही।

भाग–II: राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं स्वायत्त निकायों से संबंधित अनुपालन लेखापरीक्षा

प्रतिवेदन के इस भाग में राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के व्यवहारों की नमूना जांच में पाये गए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को उजागर करने वाले 'राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड की कार्यप्रणाली' पर एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा सहित चार अनुच्छेद सम्मिलित हैं, जिनका मौद्रिक मूल्य ₹ 44.51 करोड़ है।

राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड

राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड की कार्यप्रणाली

राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड (कम्पनी) की स्थापना मार्च 1978 में प्रमाणित बीज के उत्पादन एवं किसानों को उचित मूल्य पर विपणन करने के मुख्य उद्देश्य के साथ की गई थी। इसके लिए यह बीज उत्पादकों के माध्यम से अनाज, तिलहन, दलहन, नकदी फसल आदि की 25 से अधिक फसलों हेतु बीज उत्पादन कार्यक्रम आयोजित करती है।

प्रजनक बीजों एवं आधार बीजों के वितरण के संबंध में कम्पनी का प्रर्दशन संतोषजनक नहीं था क्योंकि यह 2017-22 के दौरान उपलब्ध बीजों की सम्पूर्ण मात्रा को प्रजनन के लिए वितरित नहीं कर सकी थी। साथ ही, प्रमाणित बीज का उत्पादन, जैसा कि बीज आवृर्ति योजना एवं स्वयं के लक्ष्यों में परिकल्पित किया गया था, किसी भी मौसम में सुनिश्चित नहीं किया गया था।

कम्पनी ने बीज उत्पादकों द्वारा अपेक्षित उपज की सुपुर्दगी की निगरानी हेतु कोई प्रणाली विकसित नहीं की थी। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने बीज उत्पादन कार्यक्रम के अनुसार बुआई सुनिश्चित नहीं की थी।

कम्पनी अपने प्रसंस्करण संयंत्रों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित नहीं कर सकी जैसाकि वर्ष 2017-22 के दौरान उपयोग 28.74 प्रतिशत एवं 46.09 प्रतिशत के मध्य सीमा में था। साथ ही, कम्पनी बीजों का वैज्ञानिक एवं सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित नहीं कर सकी, जिसके कारण बीज प्रारंभिक प्रमाणीकरण के नौ माह के भीतर ही खराब हो गए।

बीजों के विक्रय हेतु कम्पनी द्वारा निर्धारित किए गये लक्ष्य तर्कसंगत नहीं थे क्योंकि निर्धारित किए गये वार्षिक लक्ष्य संबंधित वर्ष हेतु बीजों की वास्तविक उपलब्धता से अधिक थे। परिणामस्वरूप, कम्पनी 2017-22 के दौरान बीजों के विक्रय हेतु अपने स्वयं के लक्ष्यों की उपलब्धि सुनिश्चित नहीं कर सकी।

कम्पनी बीज ग्राम कार्यक्रम के अन्तर्गत आधार/प्रमाणित बीजों की सम्पूर्ण लक्षित मात्रा वितरित नहीं कर सकी जिससे न केवल योजना का मूलभूत उद्देश्य विफल हुआ अपितु किसान योजना के लाभों से भी वंचित हो गए।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि कम्पनी को

- ***उपलब्ध बीजों के वितरण हेतु कार्य योजना तैयार करने;***
- ***प्रमाणित बीजों के उत्पादन हेतु एवं बीज उत्पादकों से सम्पूर्ण उपज की प्राप्ति हेतु निगरानी तंत्र सुदृढ़ करने;***
- ***प्रसंस्करण संयंत्रों का इष्टतम उपयोग एवं पुनर्वैधीकरण के दौरान बीजों की विफलता को नियंत्रित किए जाने हेतु बीजों का वैज्ञानिक एवं सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित करने;***
- ***बीजों की आपूर्ति के पेटे बकाया देयताओं की वसूली सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी कदम उठाने चाहिए।***

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

विद्युत प्रभारों/सिविल देयता के निर्धारण में कमियों के कारण ईंधन अधिभार का गैर-निर्धारण/कम-निर्धारण हुआ।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि डिस्कॉम्स को, अशुद्धियों से बचने एवं आवश्यक नियंत्रण रखने हेतु; सतर्कता प्रकरणों में स्वचालित निर्धारण प्रक्रिया को अपनाना एवं इसे उनकी बिलिंग प्रणाली के साथ एकीकृत करना चाहिए।

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

कम्पनी ने सौभाग्य योजना के दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं किया था एवं इसलिए इसे 100 डब्ल्यूपी क्षमता वाले एसपीवी की स्थापना पर ₹ 12 करोड़ की संपूर्ण लागत वहन करनी पड़ी थी।

राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड

सुदृढ़ आंतरिक नियंत्रण तंत्र के अभाव की परिणिति ₹ 6.86 करोड़ मूल्य की नकली बैंक गारंटियों को स्वीकार किए जाने में हुई। परिणामस्वरूप, कम्पनी इसके टोल के बकाया ₹ 6.72 करोड़ की वसूली सुनिश्चित नहीं कर सकी।